


15/9/20

पत्नी वेश हुई। दोनों पक्षों
 के नमील उपस्थित। किशोरी
 नमील ने जाहिर किया की
 शूल दावे जबाब इम्बाली
 पुस्तुल किया जा चुका है।
 अब कोई विवादक शेष नहीं
 रहा है। अता अर्पिना पक्ष की
 कार्रवाई को आगे चलाना उचित
 नहीं प्रतीत होता है।

अता अर्पि की अर्पिना पक्ष
 खारिज किया जावे।

हमने अर्पि व किशोरी नमील
 की कहय को सुना। अतावली
 का अवलोकन किया। अर्पिना पक्ष
 को आगे चलाना उचित प्रतीत
 नहीं होता है। अता अर्पि की अर्पिना
 पक्ष खारिज किया जाव है।
 पत्नी पक्षल सुमार लेकर
 शास्त्रिन रूपता है।


 सहायक निलेखर
 (S.D.O.) बालोतरा